राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कैलाशचन्द बनाम कबूलचन्द 1542/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों की और हमारा ध्यान आकर्षित करा कर मुख्य रूप से निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का अध्ययन व अवलोकन किये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय गलत रूप से पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। प्रार्थी/रेस्पो. अपनी खाते की भूमि खसरा नम्बर 920, 925 की दक्षिण सीमा से लगते हुये रास्ते के खसरा नम्बर 926 व 1014 में से आते जाते रहे है एवं उसमे आगे खसरा नम्बर 932 तक ग्रेवल सड़क बनी हुई है, अपीलार्थी द्वारा उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान में लाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो. को अनुचित लाभ पहुचाने की गरज से गलत रूप से रास्ता कायमी का अपीलाधीन आदेश प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा यह स्पष्ट साबित किया गया था कि प्रार्थी/रेस्पो. के पास पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध रहा है, जिससे वह आना-जाना करते थे एवं धारा 251ए में भी इस सम्बन्ध यह स्पष्ट प्रावधान निहित है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वास्तविक तथ्यों एवं क़ानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर मनमाने रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के प्रावधानों के स्पष्ट रूप से विपरित है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में तहसील से प्राप्त रिपोर्ट एवं अपीलाधीन निर्णय की और हमारा ध्यान आकर्षित करा कर निवेदन किया कि रेस्पो. के पास कोई रिकार्डेड रास्ता नही है एवं तहसीलदार द्वारा प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा चाहा गया रास्ता सब से छोटा एवं कम दूरी का रास्ता होना अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है एवं विधि के प्रावधानों एवं धारा 251ए के प्रावधानों के अनुसरण में भी यदि किसी कृषक/खातेदार की आराजी तक कृषि साधनों की पहुंच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नही हो तो सबसे छोटा एवं कम दूरी का रास्ता प्रदान किया जाना आवश्यक होता है, इस तथ्य को संज्ञान में रखते हुये प्रकरण के सभी तथ्यों का समुचित संज्ञान लेकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से रास्ता कायमी का आदेश प्रदान किया गया है, जिसमे कोई त्रुटी नही है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी आधारहीन होने से ख़ारिज की जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर
नम्बर व तारीख

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	1542/2025 कैलाशचन्द / कबुलचन्द हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय की पत्रावली का मय तहसील की रिपोर्ट एवं अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा की गयी बहस की ताईद होती है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील से प्राप्त रिपोर्ट का समुचित अध्ययन कर प्रार्थी/रेस्पो. की आराजी तक कृषि साधनों की पहुंच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होने के तथ्य स्पष्ट होने पर अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये लघुतम यानि कम दूरी का रास्ता कायमी का आदेश प्रदान किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26/08/2025 उचित आदेश प्रतीत होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	